



2026:AHC:124530

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 17972 / 2026

राम नवल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: मनोज कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में दाखिल किया गया अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री जी.पी. सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. वर्तमान जमानत आवेदन, विचारण के लंबित रहने के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 376 / 2025, अंतर्गत धारा 103(2), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352 भारतीय न्याय संहिता, थाना- बेलीपार, जिला- गोरखपुर में आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मृतक पर कुल्हाड़ी से प्रहार करने की विशिष्ट भूमिका सह-अभियुक्त विजयनंद को निर्दिष्ट की गई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को प्रथम सूचनाकर्ता पर प्रहार करने की सामान्य भूमिका निर्दिष्ट की गई है, जिसके परिणामस्वरूप उसे एक चोट आई है जो जीवन के लिए खतरनाक नहीं पाई गई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के आपराधिक इतिहास को आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र में स्पष्ट कर दिया गया है। आवेदक दिनांक 30.11.2025 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त विजयनंद ने मृतक राम अंधार पर प्रहार किया था, जिसके परिणामस्वरूप चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व चोटों के कारण कोमा में जाना पाया गया है।

6. प्राथमिकी के अनुसार, सह-अभियुक्त विजयनंद द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता के पति पर प्रहार करना कहा गया है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व चोटों के कारण कोमा में जाना पाया गया है। आवेदक और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता पर कठोर एवं कुंद वस्तु से प्रहार करना कहा गया है, जिसके परिणामस्वरूप उसे चोटें आई हैं जो जीवन के लिए खतरनाक नहीं पाई गई हैं, तथापि आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका निर्दिष्ट नहीं की गई है।

7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को संज्ञान में लेते हुए, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कपिल वधवन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाईन एससी 3038 के मामले में दिए गए निर्णय के अधिदेश और जमानत देने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाईन ऑल 6765 के मामले में दिए गए दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- राम नवल को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:—

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख न हो और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए निष्ठापूर्वक विचारण/अन्वेषण में सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

11. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए। संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक के साथ-साथ प्रतिभूओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी किया जाना चाहिए।

12. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बोओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन रि: सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि.) संख्या 4 / 2021' निर्णय दिनांक 31.01.2023 रिपोर्टेड (2024) 10 एससीसी 685 के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा इस आदेश की एक प्रति आवेदक को भेजी जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, जे.)

2 जून, 2026

मधुरिमा

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"